न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 124/2007 (225)

उनवान :–

1. हरदेई वेवा थान सिंह
2. कृष्ण कुमार } पुत्र थान सिंह
3. प्रधुम्न सिंह }
4. प्रेम पुत्री थान सिंह

} जातियान जाट निवासीयान अस्तावन तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. धनीराम पुत्र हरचंद
2. मुस0 बरफी वेवा हरदारीलाल
3. रामलाल(मृतक)
   - 3/1. सुरेश } पिसरान रामलाल
   - 3/2. संदीप }
   - 3/3. प्रदीप }
   - 3/4. आशा पत्नी रामलाल
   - 3/5. लज्जा पुत्री रामलाल पत्नी बृजेश जाति अहीर निवासी भूराका तहसील नगर जिला भरतपुर।

} जाति अहीर निवासी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 13.09.2007 प्रकरण संख्या 227/07 उनवान धनीराम बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री नीरपाल सिंह कुन्तल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–05.04.2021**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 13.09.07 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। उक्त वाद में सहायक कलक्टर मु0 भरतपुर ने दिनांक 01.04.1991 से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की। अपीलाण्ट/वादीगण ने उक्त डिक्री की इजराय हेतु दिनांक 01.08.1992 को प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 भरतपुर द्वारा दिनांक 10.09.1992 को स्वीकार कर लिया। जिसके आधार पर हाल खसरा नम्बर 134/0.41 वाके ग्राम अस्तावन पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण का नाम हटाकर अपीलाण्ट/वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 06.03.1993 से खारिज हुई। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर की गयी जो दिनांक 30.06.1997 से स्वीकार हुई। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 30.06.1997 के विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की जो दिनांक 30.11.2006 को निरस्त कर दी गयी। इस पर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् प्रत्यास्थापन अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 भरतपुर के आदेश दिनांक 01.04.1991 व 10.09.1992 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित होने से काबिले खारिजी है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 दिनांक 13.09.2007 को ही प्रस्तुत किया व उसी रोज प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई कार्यालय से रिपोर्ट ली और ना ही सम्बन्धित आदेश की पत्रावली को ही तलव किया गया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि सहायक कलक्टर मु0 भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.09.1992 की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है तो फिर अब क्या प्रत्यास्थापित किया जाना है अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज 161, 1990 पेज 614 का उद्धरण पेश करते

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी बाबत् माननीय उच्च न्यायालय तक आदेश पारित हो चुके हैं एंव माननीय उच्च न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रिट खारिज हुई है अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान का निर्णय दिनांक 30.06.1997 अंतिम निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेशो की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2015(2) पेज 1121, 2012(2) पेज 830, 963, 1233, 2018(1) पेज 383, 2018–19(सप्ली0) पेज 357 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से लेकर न्यायालय हाजा, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय तक निर्णय पारित हो चुके हैं। यद्यपि अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 30.06.1997 के विरूद्ध रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2006 से खारिज की जा चुकी है एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय अंतिम निर्णय हो चुका है एवं उक्त आदेश की पालना में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। परन्तु हम पाते हैं कि रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.09.2007 को प्रार्थना पत्र बाबत् प्रत्यास्थापन अंतर्गत धारा 144 जा0दी0 प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उसी रोज प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर, उसी रोज ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से विदित है कि उनके द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र पर कार्यालय से कोई रिपोर्ट ली गयी है एवं ना ही प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली को ही तलव किया गया है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0 ने उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपीलाण्ट/वादीगण अधीनस्थ न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक प्रकरण में पक्षकार रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर ना करते हुये, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी कर अपीलाण्ट को बगैर सुनवाई का मौका दिए निर्णय पारित किया है जो न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 13.09.2007 खारिज किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णयों के अनुक्रम

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

में, अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.05.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर